281

389

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

Rs-301

R 5541-II/16

1. रामप्रसाद बैसवार पिता स्वर्गीय रामगरीब वैसवार, पेशा– खेती,
2. सौखीलाल वैसवार पिता स्वर्गीय रामगरीब वैसवार, पेशा– खेती,

अधि० श्री राकेश तिवारी द्वारा प्रस्तुत 24.12.16

निवासी ग्राम– रेहुटा, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म.प्र.)

——— पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण

बनाम

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व म० म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1. बाबूलाल वैसवार पिता रामदुलारे वैसवार, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– रेहुटा, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. हरप्रसाद पिता रामदुलारे वैसवार, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– रेहुटा, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)
3. जग्यप्रसाद पिता रामदुलारे वैसवार, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– रेहुटा, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)
4. मध्यप्रदेश शासन

———— गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला – सीधी प्रकरण क्रमांक– 85/अ – 12 / 2015–16 आदेश दिनांक– 11.07.2016 जिसके अनुसार ग्राम– रेहुटा, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी की आराजी नया बन्दोबस्ती खसरा नंबर– 305/3 रकवा 0.010 है0 का सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि किये जाने का आदेश दिया गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

(281)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5541 / II / 2016 जिला–सीधी

रामप्रसाद वैसवार / बाबूलाल बैसवार

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल हनुमानगढ़, तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 85 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	